implementing agencies i.e." State Government have to first incur expenditure from their own resources and then claim reimbursement from the OECF. Rs. 18.90 crores have been reimbursed by OECF till March 1996.

Incentive/Concessions in Excise Duty on Excess Production

*231. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: SHRI K.M. SAIFULLAH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce incentive/concessions in excise duty on excess pcoduction to enable goods at cheaper rates for export without losing out on revenue; and

(b) if so, the measures likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No, Sir. Under the Excise and Customs Laws, export goods or the materials used in the manufacture of export goods do not bear the incidence of excise or customs duties.

Operation of S.S.R Radars

*232. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as and when the S.S.R. Radars are operational, they will not be able to perform their full functions unless the corresponding equipment is installed on all aircraft operating within or airspace; and

(b) if so, what steps arc being taken in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CM. IBRAHIM):
(a) Yes, Sir.

(b) All aircraft with Air India and most of the aircraft with Indian Airlines are already equipped with S-mode transponders. The remaining aircarft of Indian Airlines will be equipped by 30.6.1997. Two private airlines, namely Jet Airways and Modiluft have all their aircraft equipped ." with S-mode transponders and . others have been directed by the Director general of Civil Aviation to complete the installation of this equipment by 31-3-1997.

उत्तर प्रदेश में गढ़वाल /कुमायुं संभागों में राष्ट्रीयकृत / निजी बैंकों की शाखाएं

*233. **श्री मनोहर कांत ध्यानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायुं संभागों के पयर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में 15 से 25 गांवों के लिए बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रियकृत और निजी बैंकों की शाखाए खोली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शाखाओं में ऋण-जमा अनुपात कया है;

(ग) इन दो संभागों में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) यदि नही, तो सरकार ऐसी विषम भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 1994-95 की योजना अवधि के लिए प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या कवरेज जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि विगत में देश के शाखा नेटवर्क के विकास को दष्टिगत करते हुए किया जाता था और शाखा विरतार कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 1985-90 की अवधि के अन्त तक ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति-बैंक कार्यालय (एपीपीबीओ) औसत जनसंख्या में कमी आई है और यह 13000 हो गया है । तथापि, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभी भी अतिरिक्त ग्रामीण शाखाएं खोलने की आवश्यकता है और / या कुछ विद्यमान ग्रामीण शाखाओं के कारोबार में वृद्धि करने की आवश्यकता है । यह भी महसूस किया गया था कि पर्वतीय/ जनजातीय क्षेत्रों और दूर-दराज के कम आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त शाखाएं खोली जानी चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्रों की बैंकिग आवश्यकताएं